

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 23.11.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने के आरोप में 15,000/-
रु0 का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506, 120बी भादवि से संबंधित 15,000/- रु0 का इनामिया वांछित अभियुक्त रणवीर सिंह पुत्र स्व0 सुदामा प्रसाद निवासी ग्राम ठाकुरपुर नं0-02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से वादी को मृतक बनाकर धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रणवीर सिंह पुत्र स्व0 सुदामा प्रसाद निवासी ग्राम ठाकुरपुर नं0-02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419,420,467,468,471,323,504,506,120बी भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष सूरज सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. वरि0उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 आशीष सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 अजय नारायण सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. का0 मो0 आफताब थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
6. का0 प्रदीप यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर